सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{09 फाल्गुन, 1943 (श०)}}{\text{28 फरवरी, 2022 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 103

(1) गृह विभाग	..	..	59
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	06
(3) वित्त विभाग	..	..	11
(4) उद्योग विभाग	..	..	11
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	02
(6) मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग	..	..	07
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	06
(8) सूचना प्रावैधिकी विभाग	..	..	01
		कुल योग --	103

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला गया के बेला विधान सभा क्षेत्र के अमराहा में पीरू बिगहा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण असामाजिक तत्वों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फ्लैट मकान एवं जमीन उपलब्ध कराना

*2. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस, 2006 पुस्तिका के पृष्ट संख्या 29 के पत्रांक 9 के तहत भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं एवं आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा फ्लैट, मकान, जमीन देने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 से भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को कोई आवास फ्लैट एवं जमीन नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को फ्लैट, मकान एवं जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*3. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर में निम्नलिखित कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु (1) शीतलपुर-हनुमानगंज, खाता नम्बर 804, खेसरा 2030 (2) शीतलपुर छावनी सेवन, खाता नम्बर 300, खेसरा नम्बर 3589 एवं (3) शीतलपुर छावनी सेवन, खाता नम्बर 300, खेसरा नम्बर 4096 इनके कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी हेतु अंचलाधिकारी, कल्याणपुर के ज्ञापांक 77, दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा अंचल अमीन से पैमाईस कराकर नजरी नक्शा एवं प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता एल0ई0ओ0 1, मोतिहारी को भेजा जा चुका है, प्राक्कलन भी विकास शाखा, मोतिहारी में जमा है, किन्तु अभीतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*4. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव अनुमंडल मुख्यालय में जमीन के अभाव में अग्निशमन केन्द्र का भवन स्थापित नहीं होने के कारण काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कहलगाँव अनुमंडल मुख्यालय में कबतक जमीन अधिग्रहण कर अग्निशमन केन्द्र भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरित करना

*5. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि करीब दो दशक पहले बैदराबाद (अरवल) बस स्टैंड पर सरकार ने किसान भवन का निर्माण करवाया था जो कुछ ही सालों बाद 'पुलिस शिविर' में बदल गया था और उस किसान भवन में अभी अनुसूचित जाति/जन-जाति थाना है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त किसान भवन से पुलिस थाना को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*6. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के नवगठित नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को उत्क्रमित करने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् भी उन शहरों या निकायों को वर्गीकृत शहर की सूची में शामिल नहीं किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता हेतु जारी संकल्प संख्या 8043, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को संशोधित कर जेड श्रेणी में वर्गीकृत शहर की सूची नवगठित नगर निगमों व नगर परिषदों का नाम शामिल नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त समस्याओं को दूर करने की दिशा में कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल में शामिल करना

*7. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-कुशहरिया अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुशहरिया गाँव दुर्गावती प्रखंड में रहने के बावजूद भभुआ अनुमंडल एवं चैनपुर थाना के अन्तर्गत आता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि कुशहरिया गाँव के लोगों का प्रखंड मुख्यालय दुर्गावती है और अपना प्रशासनिक, आर्थिक एवं दिनचर्या कार्य हेतु दुर्गावती आना पड़ता है ;

(4) क्या यह बात सही है कि कुशहरिया गाँव के लोगों को पुलिस कार्य हेतु भभुआ अनुमंडल और चैनपुर थाना जाने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-कुशहरिया को दुर्गावती थाना एवं मोहनियाँ अनुमंडल में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

*8. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत मरंगा औद्योगिक क्षेत्र में 100 से ज्यादा उद्योग संचालित है परंतु बियाडा क्षेत्र मरंगा में एक भी बैंक की शाखा नहीं है जिससे यहाँ कार्यरत औद्योगिक इकाई को वित्तीय लेन-देन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मरंगा औद्योगिक क्षेत्र पूर्णियाँ में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

*9. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के अन्तर्गत रक्सौल में एयरपोर्ट विकास हेतु वर्ष 2021-22 में 250 करोड़ रुपया कर्णांकित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एयरपोर्ट विकास हेतु वर्ष 2021-22 में 121 एकड़ जमीन की माँग भारत सरकार द्वारा की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि देश में प्रत्येक 200 किलो मीटर पर एयरपोर्ट को विकसित करना है और रक्सौल से दरभंगा या गोरखपुर लगभग 200 किलो मीटर है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रक्सौल में एयरपोर्ट विकास हेतु 121 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*10. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत राज, मधुरापुर ईदगाह के निकट कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण आये दिन साम्प्रदायिक उन्माद होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*11. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के जोंकी ग्राम में बंद पड़े मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की 22 एकड़ भू-खंड पर अन्य कृषि आधारित उद्योग की संभावना तलाशने एवं इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी की अध्यक्षता में सहायक उद्योग निदेशक (रे0) मुजफ्फरपुर एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के पदाधिकारी की एक समिति दिनांक 18 मार्च, 2013 को गठित की गयी थी जिसे एक माह के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई करनी थी, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर इथनॉल उत्पादन या अन्य कृषि आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खादी ग्रामोद्योग चालू कराना

*12. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड गड़हनी स्थित खादी ग्रामोद्योग आयोग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग भारत सरकार द्वारा संचालित तथा भोजपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ के निबंधन संख्या 24 सन् 1973-74 के तहत भोजपुर-बक्सर जिले का इकलौता कंबल उद्योग वर्षों से बंद पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़े उक्त खादी ग्रामोद्योग को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*13. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पुलिस निरीक्षक, जयनगर का कार्यालय भवन एवं आवास जर्जर हो चुका हैं जहाँ बरसात के दिनों में 2 फीट तक जल-जमाव हो जाता है जिस कारण कई अभिलेख नष्ट हो गये हैं तथा विभागीय कार्य संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस निरीक्षक, जयनगर ने अपने पत्रांक 05/19, दिनांक 5 जनवरी, 2019 को पुलिस अधीक्षक, मधुबनी, पत्रांक 1300/19, दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 को तथा अपने पत्रांक 818/20, दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को भवन निर्माण विभाग, पटना एवं पत्रांक 766/21, दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को पुनः कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु आवेदन दिया परन्तु आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*14. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजियारपुर थाना का कार्य भाड़े के मकान में और बहुत कम जगह में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी द्वारा थाना के नाम पर जमीन आवंटित किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उजियारपुर थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना में अपग्रेड करना

*15. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली विधान सभा के लगभग 12 पंचायत के लिये थाना बेलसर ओ0पी0 है, जो हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सीमा क्षेत्र के निकट है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बेलसर ओ0पी0 के अन्तर्गत काफी बड़ी आबादी/क्षेत्र के लिये कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिला के बेलसर ओ0पी0 को थाना में अपग्रेड करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सीप उद्योग पुनर्जीवित करना

*16. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में सीप उद्योग बड़े पैमाने पर चलता था, जो विगत 25 वर्षों से अधिक से बंद हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़े सीप उद्योग को कबतक पुनर्जीवित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्पादन का कार्य आरंभ करना

*17. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय में पेप्सीको बॉटलिंग प्लांट एवं इडेन स्मार्ट एग्रोटेक के द्वारा एथनॉल प्लांट स्थापित किये जाने हेतु कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी प्रथम फेज का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग 500 करोड़ की लागत से 55 एकड़ में पेप्सीको बॉटलिंग प्लांट एवं 500 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में एथनॉल प्लांट के लिये बी0आई0ऐ0डी0ऐ0 के द्वारा जमीन भी आवंटित किया गया है, साथ ही पहले फेज हेतु 330 करोड़ का निवेश की भी मंजूरी प्राप्त होने के बावजूद कम्पनियों द्वारा उत्पादन का कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने से कामगारों में काफी निराशा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पेप्सीको बॉटलिंग प्लांट एवं इडेन स्मार्ट एग्रोटेक प्लांट के पहले फेज हेतु कार्यारंभ कर उत्पादन किये जाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैरक का निर्माण कराना

*18. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर थाना भवन का निर्माण करा दिया गया है, परन्तु आवास एवं बैरक का निर्माण न होने से पुलिसकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लखनौर थाना परिसर में आवास एवं बैरक निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार लखनौर थाना परिसर में उपलब्ध भूमि पर आवास एवं बैरक का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*19. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के मुफस्सिल थाने को ना तो अपना जमीन है और ना ही भवन है और यह सिंचाई भाग के कोसी प्रोजेक्ट के जर्जर भवन में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कैदी को रखने के लिये हाजत भी बहुत छोटा है, जिससे गिरफ्तार किये गये अपराधी को रखने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के मुफस्सिल थाना का भवन निर्माण कराकर इसे मॉडल थाना बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*20. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा किसानों के गन्ना की घटतौली की जाती है, जिसके कारण किसानों को सही तौल के हिसाब से राशि नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक क्षति पहुँचती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त चीनी मिल के धर्मकाँटा की जाँच कराते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन की व्यवस्था कराना

*21. श्री नन्द किशोर यादव(क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु जमीन की व्यवस्था लघु उद्योगों के समूह को स्वयं करनी पड़ती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छोटे-छोटे लघु उद्योग जमीन की व्यवस्था नहीं करने के कारण सरकार की घोषणा के बावजूद सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार द्वारा घोषित कलस्टरों के लिये सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु जमीन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

*22. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उजियारपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उजियारपुर एवं दलसिंहसराय प्रखंडों में औद्योगिक विकास (विशेष तौर पर कृषि आधारित उद्योगों) की बहुत संभावना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उजियारपुर लोक सभा क्षेत्र, विधान सभा क्षेत्र एवं उसके अन्दर दलसिंहसराय अनुमंडल होने के बावजूद एक भी औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजियारपुर में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि भुगतान करना

*23. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया नन-बैंकिंग कंपनी भगवान सिंह मार्केट, बलिया में शिल्पी कुमारी खाता सं० 16416001061 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 1,15,190 मात्र, दूसरा खाता सं० 16416400039 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 2,73,712 मात्र अन्य खाता सं० 16416400040 सहारा 'ए' सेलेक्ट राशि 59,842 मात्र का एवं अन्य निवेशकों द्वारा निवेश किया गया है, किन्तु खाताधारक के परिपक्वता अवधि पूरा होने के उपरांत भी कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खाताधारक का पूर्ण राशि भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विमान सेवा बहाल करना

*24. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के बाल्मिकीनगर में पूर्व से ही हवाई पट्टी बनी हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाल्मिकीनगर को बिहार का छोटा कश्मीर कहा जाता है तथा यहां पर्यटक स्थल जंगल सफारी भी है, साथ ही यह क्षेत्र महर्षि बाल्मिकी जी की तपोभूमि, लव-कुश की जन्मभूमि तथा सीता जी की समाहित भूमि है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस हवाई पट्टी को दरभंगा की तरह बनवाने तथा विमान सेवा बहाल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उप-कारागार का निर्माण कराना

*25. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौडाबौराम)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिरौल अनुमंडल में एक भी उप-कारागार नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिरौल अनुमंडल से चार-पाँच कि०मी० की दूरी पर गौड़ाबौराम प्रखण्ड के बगरासी पंचायत अन्तर्गत सरकारी जमीन पर उप-कारागार का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारा का निर्माण

*26. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के नरकटियागंज अनुमंडल में कारा निर्माण की स्वीकृति 2014-15 में दी गयी थी, लेकिन आजतक अनुमंडल कारा का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमण्डल में कारा का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*27. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मुजफ्फरपुर से दरंभगा जाने वाली एन०एच० पर गायघाट या बेनिबाद में कोई बैंक नहीं रहने के कारण इस इलाके के लोगों को बैंकिंग की सुविधा नहीं मिल रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गायघाट या बेनिबाद में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*28. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत धड़हरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत अन्तर्गत सराजी ग्राम तथा महड़ना मानगढ़ पंचायत अन्तर्गत मानगढ़ ग्राम में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं होने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबन्दी कराना

*29. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखंड के ग्राम पंचायत मोराटाल के ग्राम-मनकोसी कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यातायात पुलिस की व्यवस्था

*30. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखण्ड में यातायात पुलिस नहीं रहने के कारण शहर के मुख्य सड़क में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण अस्पताल जाने वाले रोगियों को एम्बुलेन्स के साथ-साथ कोर्ट-कचहरी जाने वाले आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही मॉल एवं दुकानों के आगे गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी कर दी जाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर यातायात पुलिस की व्यवस्था कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*31. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित सहारा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मनेर शाखा के द्वारा खाता संख्या 13266800285, 13266800286 के साथ ही अन्य सैकड़ों खाताधारियों की जमा राशि समय पूर्ण होने के पश्चात् भी दो वर्षों से खाताधारियों को परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित खाताधारियों को परिपक्व राशि का भुगतान करने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

स्थापना कराना

*32. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज बिहार प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है तथा यहां एक भी उद्योग संचालित नहीं रहने के कारण अधिकतर लोग रोजगार हेतु अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर बनने पर मजबूर हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में चमड़ा की उपलब्धता तथा चमड़ा की कुशल कारीगरी की कमी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में चमड़ा उद्योग की स्थापना का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*33. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत चितकोहरा में अवस्थित कब्रिस्तान (प्लॉट नं० 72, खाता नं० 100, रकबा 1.64 एकड़) की घेराबंदी की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2016 में की गयी थी लेकिन घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान की जमीन को वहां के स्थानीय लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का नवनिर्माण

*34. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत 65 वर्ष पूर्व बने नरहन खादी ग्रामोद्योग भवन की स्थिति काफी जर्जर है जिसके कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खादी ग्रामोद्योग भवन का नवनिर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा

*35. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुँचाने के लिये ग्रामीण स्तर पर बैंकों द्वारा मित्र की सहायता से ग्राहक सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, परन्तु संचालकों को बैंक या वेंडर कंपनी इसके संचालन हेतु कोई संसाधन नहीं देती है, इससे संचालकों के बैंक आने-जाने के क्रम में छिनतई एवं लूटपाट की घटनाओं में से हुये नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ संचालकों की होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राहक सेवा केन्द्र संचालकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करवाना

*36. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत जुनियर इंजीनियर की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग जनवरी, 2021 में हो जाने तथा प्रमाण-पत्रों की जाँच हो जाने के बावजूद अभीतक अंतिम परिणाम जारी कर नियुक्ति नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अंतिम परिणाम जारी कर कबतक अभ्यर्थियों की नियुक्ति करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*37. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत के विभूति प्रखंड के पंचायत गंगौली-मंदा के वार्ड नं० 5 में बांध के समीप कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण आवारा पशुओं द्वारा कब्र को क्षत-विक्षत कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी भवन का निर्माण

*38. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड में बिस्फी थाना एवं पतौना पुलिस ओ०पी० किराये के मकान में चल रहा है जिसके कारण पुलिस प्रशासन सहित पुलिस कर्मियों का कार्य करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों थाना एवं पुलिस ओ०पी० भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*39. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोच प्रखंड के गाम-शाहगंज में अनजान पीर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*40. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के पंचायत सिरिसिया बाजार के समीप कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*41. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड के पकड़िया पंचायत के ग्राम-पकड़िया में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसका खाता नं० 187, 188 खेसरा नं० 155, 703, 704 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के फलस्वरूप असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, जबकि उक्त कब्रिस्तान घनी आबादी की बीच में अवस्थित है, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा अभीतक इसे प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को प्राथमिकता सूची मे सम्मिलित कर कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की चहारदीवारी

*42. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखंड के इन्दरवा परसा गाँव में एक कब्रिस्तान अवस्थित है, जिसकी चहारदीवारी किया हुआ नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के द्वारा सभी कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराने की योजना संचालित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर का जीर्णोद्धार

*43. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत पानापुर प्रखंड के ग्राम-पानापुर में श्रीरामजानकी मठिया एवं तरैया प्रखंड के ग्राम-डुमरी में श्रीरामजानकी मठिया लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण उक्त मंदिर एवं चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रोपाई पर रोक लगाना

*44. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज समेत बिहार के सभी गन्ना उत्पादक जिलों में कोयंबटूर और करनाल जैसे गन्ना बीज अनुसंधान केन्द्रों से अनुशंसित CO-0238, CO-0118 गन्ना प्रभेदों की फसलें वर्ष 2021 में बाढ़ एवं वर्षा से सूख गई है और लाखों किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है, जबकि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से अनुशंसित गन्ना प्रभेद राजेन्द्र-1 एवं अन्य प्रभेदों में नुकसान नहीं हुआ है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से अनुशंसित गन्ना प्रभेदों को प्राथमिकता देने और CO-0238, CO-0118 और जैसे प्रभेदों की रोपाई पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ0 पी0 स्थापित कराना

*45. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के मोथावाड़ी पंचायत में पुलिस ओ0पी0 स्थापित नहीं होने के कारण अक्सर चोरी, डकैती एवं हत्या की वारदात जैसी घटनाएँ घटित होती रहती है तथा किसी भी प्रकार की वारदात एवं कांड के संदर्भ में 18 किलो मीटर दूर कटोरिया थाना जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत जंगली एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने तथा 18 किलो मीटर दूरी होने के कारण थाना प्रशासन को पहुँचने में विलम्ब हो जाता है एवं रात्रि गस्ती भी संभव नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोथावाड़ी पंचायत में पुलिस ओ0 पी0 स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शाखा खोलना

*46. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत हसपुरा प्रखंड के हसपुरा बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक भी शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा नहीं होने के कारण आम जनता को दाउदनगर या अरवल जिला जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हसपुरा बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*47. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया प्रखंड के ग्राम पंचायत वकरौर के ग्राम-रतनारा, गंगाबिगहा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*48. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखनौर पी0एस0/झंझारपुर आर0एस0 (ओ0पी0), कांड संख्या 85/21 के थाना कांड में एस0एच0ओ0, प्रभारी, झंझारपुर आर0एस0 (ओ0पी0) पर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर अमानवीय ढंग से पिटाई कर हाजत में रखने का एवं पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 1193/वि0को0, दिनांक 28 मई, 2021 द्वारा निर्गत आदेश की अवहेलना करते हुये पिटाई के संबंध में निष्पक्ष जाँच हेतु मैंने पत्रांक 161/2021, दिनांक 7 जून, 2021 एवं संज्ञान नहीं लेने पर पुनः पत्रांक 296/2021, दिनांक 23 अगस्त, 2021 को पुलिस महानिदेशक, बिहार एवं पत्रांक 167/2021, दिनांक 8 जून, 2021 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को पत्र लिखा था ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस उप-महानिरीक्षक (मानवाधिकार) बिहार, पटना के पत्रांक 3325, दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को उसकी निष्पक्ष जाँच कर मुख्यालय भेजने को कहा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कांड पर संज्ञान लेते हुये कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण देना

*49. श्री महबुब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी राज्य का एक मात्र सरकारी कॉलेज है, जिसमें नामांकन राज्यस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होता है, जबकि बिहार में उक्त विषय के दर्जनों निजी संस्थान है, जिसमें धन-बल से छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और चूँकि सरकार में नियुक्ति अंक के आधार पर होती है, इसलिये सरकारी कॉलेज के प्रतिभावान छात्र नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 12535, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 के आलोक में सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी के उत्तीर्ण छात्रों के लिये भी सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गाड़ी उपलब्ध कराना

*50. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के थानों में गाड़ियों के परिचालन हेतु मात्र 110 लीटर डीजल प्रतिमाह दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गाड़ियों के रख-रखाव के अभाव में भी गाड़ियों की भारी दुर्दशा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विभिन्न थानों में पन्द्रह से बीस साल तक की पुरानी जर्जर गाड़ियों का इस्तेमाल मजबूरी में किया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रतिमाह 110 लीटर के बजाय 220 लीटर डीजल देने एवं थानों को दस साल पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक का शाखा खोलना

*51. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्रखंड में आदर्श ग्राम पंचायत, भूतहाखार एवं ग्राम पंचायत, गोरायपुर के दोनों ग्राम पंचायत के आठ (8) किलो मीटर के परिधि में कोई भी बैंक शाखा नहीं है जिसके कारण यहाँ के किसानों एवं ग्रामीणों को वित्तीय कार्य में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक आदर्श ग्राम पंचायत, भूतहाखार के मुख्यालय भूतहाखार एवं गोरायपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियोजन करना

*52. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों सहित पंचायती राज संस्थाओं में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जाता हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन द्वारा लिया गया डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की परीक्षा में विगत तीन वर्ष पूर्व सफल 3000 अभ्यर्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में नियोजित नहीं किया गया है जिससे अभ्यर्थी भूखमरी के कगार पर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेल्ट्रॉन की परीक्षा में तीन वर्ष पूर्व सफल 3000 अभ्यर्थियों का नियोजन सरकारी कार्यालयों में कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

*53. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत मनसाही प्रखंड के मनसाही थाना का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना जल संसाधन विभाग के कोसी प्रोजेक्ट के थाना संख्या 112, खाता संख्या 442, खेसरा संख्या 412, 414 करीब 1 एकड़ भूमि पर टूटे-फूटे जर्जर मकान में 1968 से चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिंचाई विभाग के जमीन को गृह विभाग में हस्तान्तरित कर थाना के लिये अपना भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*54. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत पकरी पंचायत के ग्राम-पकरी एवं मोदीनचक ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, फलस्वरूप उक्त कब्रिस्तानों में अवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास निर्माण

*55. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत मनिहारी अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के लिये आवास उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पदाधिकारियों के लिये आवास निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संचालन करवाना

*56. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में गन्ना उद्योग विभाग का कार्यालय पूर्व से संचालित है, जिसमें कोई कर्मी नियुक्त नहीं रहने के कारण कार्यालय में कई वर्षों से ताला लगा हुआ है, जिसके कारण किसानों को काफी असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय में पदाधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त कर कार्यालय का विधिवत संचालन कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

'अ'-*57. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अन्तर्गत मिर्जाचौकी और बाराहाट झारखंड राज्य का सीमा है तथा इससे होकर क्रमश: NH-80 और NH-133 गुजरती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों स्थान पर स्थाई पुलिस चौकी नहीं रहने के कारण प्रतिदिन बेरोक-टोक हजारों वैध और अवैध गाड़ियाँ दूसरे राज्य से बिहार राज्य में आती-जाती रहती है जिससे शराब की तस्करी, वाहन चोरी, राजस्व चोरी, अपराध आदि की घटना में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिर्जाचौकी और बाराहाट में स्थायी पुलिस चौकी का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा स्थापित करना

*58. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय कृत बैंक की एक भी शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि करपी प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय कृत बैंक की शाखा नहीं रहने के कारण व्यापारियों, किसानों एवं आमजन को काफी असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक करपी प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*59. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला अन्तर्गत जमालपुर प्रखंड के पड़हम पंचायत अन्तर्गत पड़हम ग्राम में स्थित कब्रिस्तान के उत्तर साईड की चहारदीवारी का निर्माण अभीतक नहीं हुआ है तथा दक्षिण साईड का चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस कब्रिस्तान के दक्षिण चहारदीवारी की मरम्मती के साथ-साथ उत्तर साईड की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*60. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोच प्रखंड के ग्राम-जमालपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी बनाना

*61. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड का गायघाट बाजार, थाना बनने की सभी अर्हताएँ पूरा करता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान से हरसिद्धि की दूरी 18 किलो मीटर एवं तुरकौलिया थाना की दूरी 12 किलो मीटर है जबकि यह क्षेत्र अपराध प्रभावित एवं भारी आबादी वाला क्षेत्र है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थल पर कबतक पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'अ'-सामान्य प्रशासन विभाग से गृह विभाग में स्थानान्तरित।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना

*62. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजापाकर (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर विधान सभा क्षेत्र पूर्णत: कृषि पर आधारित है, परंतु फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं रहने के कारण किसानों को उत्पादन पर उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत फूड प्रोसेसिंग यूनिट कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*63. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवसीय विद्यालय प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक विद्यालय बनाने का निर्णय वर्ष 2018-19 में लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला एक मुस्लिम बाहुल्य जिला है जहां अवतक एक भी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय नहीं बना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) अररिया जिला में भूमि की उपलब्धता हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना तथा बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना से अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त भूमि उपलब्ध होने के उपरांत अररिया जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

वेबसाइट पर प्रदर्शित करना

*64. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 के नियम 24 के अनुसार "हर विभाग हरेक राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निपटाये गये मामलों की मासिक तालिका तैयार करेगा" और उसे प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव के माध्यम से प्रभारी मंत्री के पास उपस्थित करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नियम के अनुसार प्रधान सचिव, सचिवों, और अपर सचिवों द्वारा निपटाये गये मामलों की तालिकायें मुख्यमंत्री के पास तथा प्रभारी मंत्री द्वारा निपटाये गये मामलों की मासिक तालिकाएं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास एक साथ उपस्थापित की जाती हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा निपटाये गये मामलों की मासिक तालिकाओं की प्रति विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*65. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा थाना भवन जर्जर हो चुका है तथा थाना परिसर में जल-जमाव लगा रहता है, जिस कारण वहां पदस्थापित कर्मियों को भवन के अभाव में जैसे-तैसे रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार सकरा थाना एवं स्टाफ के लिये भवन एवं उसके चहारदिवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*66. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर स्थित सचिवालय थाना में दिनांक 11 जनवरी, 2022 को चोरी की शिकायत दर्ज कराने गये महिला सचिवालय कर्मी को थानाध्यक्ष द्वारा गाली-गलौज किया गया और बिना शिकायत दर्ज किये हुये थाना परिसर से भगा दिया गया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो जाने के उपरान्त भी थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने का औचित्य क्या है ?

घेराबंदी कराना

*67. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सूर्यपुरा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-सूर्यपुरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिससे बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तथा ग्राम में तनाव पैदा होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*68. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के पंचायत उचका गाँव के रघुपटी गाँव में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति

*69. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला संवर्ग में लिपिकों के निरंतर अवकाश ग्रहण एवं पुन: उक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति लंबे अरसे से नहीं होने के कारण प्रखंड, अंचल व जिला स्तर पर मधुबनी जिला में काफी पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यालयों के कार्यों में गति लाने के लिये बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य पदों पर संविदा पर नियुक्ति की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो रिक्त पदों पर सरकार कबतक स्थायी नियुक्ति अथवा बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*70. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत लालगंज प्रखंड के वृंदावन गाँव के खंजाहाचक में लगभग 10 वर्ष पूर्व बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेदकर की आदमकद प्रतिमा एवं संत रविदास जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा स्थापन के समय से ही प्रतिमा को सालों भर कपड़े से ढक कर रखा जा रहा है जिससे बाबा साहब एवं संत रविदास के अनुयायियों में आक्रोश व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रतिमा से कपड़ा हटाने एवं असामाजिक तत्वों की पहचान कर नियम संगत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलवाना

*71. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड के जमदाहा पंचायत अंतर्गत जमदाहा में पुलिस थाना नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमदाहा में पुलिस थाना की वर्ष 31 जनवरी, 2017 में स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद थाना नहीं खोलने से अपराध एवं आपराधिक घटनाएं आये दिन घटित होती रहती है तथा किसी भी प्रकार की वारदात एवं कांड के संदर्भ में 25 कि०मी० दूर कटोरिया थाना जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 31 जनवरी, 2017 में स्वीकृति के आलोक में जमदाहा में पुलिस थाना कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*72. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के रिजवानपुर तथा डंडखोरा प्रखंड के द्वाशय कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण भूमि का अतिक्रमण हो रहा है तथा पशुओं का चरागाह बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण कराना

*73. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंडान्तर्गत बरियापुर ओ०पी० वर्तमान में हाट की जमीन पर विपणन केन्द्र में संचालित है जबकि सटे ग्राम-गोपालपुर में थाना भवन निर्माण के लिये जमीन का अधिग्रहण दस वर्ष पूर्व हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के लिये भवन और उसके चहारदीवारी का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*74. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ०जा०))--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड मुख्यालय में एक भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नहीं होने से आम आदमी तथा व्यापरियों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में एस०बी०आई० की शाखा खोलने के लिये काफी समय से मांग की जाती रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अलौली प्रखंड मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*75. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 को सहरसा जिला मुख्यालय से संजय देव उर्फ पप्पु देव को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा पुलिस की बर्बर पिटाई से हिरासत में उनकी स्थिति खराब हो गयी तथा अस्पताल जाने पर मौत हो गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पप्पु देव के शरीर पर बीस से अधिक घातक चोट के निशान पाये गये ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पप्पु देव की पुलिस हिरासत में हुई मौत की उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*76. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा के सृजन के 41 वर्ष बीत जाने के बावजूद पुलिस लाइन के भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है जिसके कारण बरसात के दिनों में पुलिस के जवानों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जिला मुख्यालय मधेपुरा में पुलिस लाइन के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हवाई अड्डे का निर्माण कराना

*77. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (नागरिक विमानन), यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सासाराम में हवाई अड्डे के निर्माण हो जाने से रोहतास जिले के साथ-साथ कैमूर, भभूआ (कैमूर) बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद के लोग भी लाभान्वित होंगे तथा पर्यटन क्षेत्र का भी विकास होगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग 8 वर्ष पूर्व भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ने सासाराम में हवाई अड्डे बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार को दी थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि 8 वर्ष बाद भी राज्य सरकार ने हवाई अड्डे निर्माण हेतु जगह चिन्हित नहीं कर पाई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सासाराम में जगह चिन्हित कर हवाई अड्डे का निर्माण कराने का प्रस्ताव भारती विमानपतन प्राधिकरण को भेजने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० खुलवाना

*78. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अंतर्गत थाना चौसा के अधीन कलाशन बाजार से सटे पूरब, पॉलिटेकनिक कॉलेज तथा आई०टी०आई० केन्द्र अवस्थित है, जहां काफी बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्रायें अध्ययन कर रही है साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा बाजार है, जहां लूट एवं हत्यायें की घटना घटती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार विधि व्यवस्था को बनाये रखने हेतु कलाशन बाजार से सटे पूरब में एक पुलिस ओ०पी० कबतक खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था करवाना

*79. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत केन्द्रीय कारा, गया में दो हजार (2000) कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि इस कारा में तीन हजार कैदी को रखा गया है जिससे कई तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कारा में क्षमतानुसार कैदियों को रखने तथा बुनियादी सुविधाएँ देने की व्यवस्था करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*80. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर में सरकारी सार्वजनिक कब्रिस्तान (1) वृन्दावन, खात नं० 27, खेसरा 1094, 1095, 1096 (2) वृन्दावन खाता नं० 27, खेसरा नं०2347 एवं (3) वृन्दावन खाता नं० 26,27 खेसरा नं० 812, 814, 815 में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु प्राक्कलन बनाकर एल०ई०ओ० 01 मोतिहारी द्वारा विकास शाखा मोतिहारी में जमा है, किन्तु अभीतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंचायत को थाना में रखना

*81. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायत दरखा जो इस्लामनगर-अलीगंज, जिला-जमुई, थाना सिकन्दरा में पड़ता था तथा पंचायत दरखा से सिकन्दरा थाना की दूरी 10 कि०मी० थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में पंचायत दरखा को दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को नवसृजित थाना लछूआड़ में मिला दिया गया है जिसकी दूरी पंचायत दरखा से भाया सिकन्दरा होकर 18 कि०मी० है, जिससे आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित पंचायत दरखा को थाना सिकन्दरा में ही रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऋण उपलब्ध कराना

*82. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में अल्पसंख्यक युवाओं को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के तहत चयनित 15 युवाओं एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में 35 युवाओं को विभागीय स्तर पर लोन एकरारनामा कराकर आजतक ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे चयनित बेरोजगार युवाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत एकरारनामा कराये गये युवाओं को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि का अधिग्रहण

*83. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लोहर चीनी मिल एवं दरभंगा जिला अन्तर्गत रैयाम चीनी मिल रूग्न होकर वर्ष 1997 से बन्द पड़ी है, जबकि उक्त चीनी मिल की सैकड़ों एकड़ जमीन वर्षों से खाली है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाली भूमि को अधिग्रहित कर कृषि आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*84. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सहार प्रखंड के ग्राम-बडकी, खडाव, ग्राम-पेरहाप, अवगिला दुल्लमचक एवं अनुआ में अभीतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों के द्वारा जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इन कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*85. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड नानपुर, ग्राम-सिरसी एवं ग्राम-ब्रहमौल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोसेसिंग यूनिट खोलना

*86. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चेनारी विधान सभा अंतर्गत चेनारी प्रखंड के दर्जनों गाँव यथा उगहनी, लोहरा, मल्हिपुर, ममरेजपुर, सिंहपुर, डोइयाँ, बादलगढ़ आदि में लगभग 1000 एकड़ में टमाटर की खेती होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतनी अधिक खेती होने के कारण किसानों को टमाटर औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक चेनारी में टोमैटो सॉस की इकाई (प्रोसेसिंग यूनिट) खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कलस्टर विकास योजना की राशि बढ़ाना

*87. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कलस्टर विकास योजना के तहत उद्योग समूह को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार 15 करोड़ तक एवं राज्य सरकार के उद्योग विभाग मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना के तहत 10 करोड़ तक की अधिकतम राशि कैपिटल पूँजी कॉमन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना के लिये अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कॉमन फेसिलिटी सेन्टर में आधुनिकतम मशीनों को स्थापित करने में एवं अन्य सुविधा देने में यह राशि पर्याप्त नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना के तहत 10 करोड़ तक के अधिकतम राशि को बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एथनॉल फैक्ट्री लगवाना

*88. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज में चीनी मिल 1993 ई० से बंद पड़ी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल की 66 एकड़ जमीन वर्षों से अनुपयोगी बनी हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त चीनी मील को कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हवाई सेवा का प्रारंभ

*89. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार के साथ नई सिविल एविएशन पॉलिसी, 2016 के अंतर्गत 9 से 20 मीटर के छोटे विमानों के लिये 2018 में एम०ओ०यू० किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राईवेट एयरलाइंस ऑपरेटर्स को छोटे विमानों के परिचालन में लाभ नहीं होने के कारण भागलपुर से हवाई सेवा आजतक शुरू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़े विमानों के लिये एम०ओ०यू० कर भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा देना

*90. श्रीमती भागीरथी देवी (क्षेत्र संख्या-2 रामनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में एफ०आई०आर० दर्ज करने में हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन एफ०आई०आर० दर्ज कराने संबंधित सिस्टम विकसित करने की प्रक्रिया 7 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 7 वर्षों के बाद भी आजतक मात्र पटना जिला में ही फाइल अटैचमेंट के बिना ऑनलाइन एफ०आई०आर० दर्ज कराने की अधूरी सुविधा प्रारम्भ की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार फाइल अटैचमेंट सहित ऑनलाइन एफ०आई०आर० की सुविधा राज्य के सभी जिलों में कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना में शामिल करना

*91. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज नौला का थाना भगवानपुर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत नौला का प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय, वीरपुर है जबकि थाना भगवानपुर, बछवाड़ा विधान सभा में होने से सामाजिक, प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से राज नौला के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत राज नौला को भगवानपुर थाना से पृथक करते हुये वीरपुर थाना में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उड़ान योजना में शामिल करना

*92. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी(अ०जा०))--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय को बिहार का औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है और यहां दर्जनों छोटे-बड़े कारखाने हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*93. श्री महबुब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई अनुमंडल की स्थापना 1 अप्रील, 1991 को हुयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि बारसोई अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य कर्मियों के आवास निर्माण हेतु श्री विप्लव बोस द्वारा 1.5 एकड़ जमीन सरकार को दान में दी गयी थी, परंतु आवास निर्माण के अभाव में अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई को बारसोई जंक्शन के रेल परिसर में रेलवे के पुराने व तंग आवास में रहना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बारसोई अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी सहित सभी कर्मियों के लिये उक्त दान में प्राप्त जमीन पर आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मच्छरदानी की व्यवस्था

*94. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय कारा, गया में मच्छर का भयंकर प्रकोप के कारण कैदियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कैदी रातभर जाग कर समय व्यतीत कर रहे हैं एवं मच्छर काटने से तरह-तरह की बिमारियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कारा में कैदियों के लिये मच्छरदानी की व्यवस्था कबतक करवाने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*95. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला गया के बेला विधान सभा क्षेत्र के बेलागंज में लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण

किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*96. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया नन-बैंकिंग कंपनी, एस०के०पुरी सेक्टर, चितकोहरा शाखा, पटना में श्रीमती दौलत देवी द्वारा खाता संख्या 6364 42 023 64, 6364 4202365 एवं 636442 0266 में श्रीमती रेखा देवी द्वारा खाता संख्या 6364 7400915 एवं 6364 740 0916 में तथा अन्य निवेशकों द्वारा निवेश किया गया है किंतु उक्त खाताधारियों के परिपक्वता अवधि दिसम्बर, 2020 में पूरी होने के उपरांत भी उक्त कंपनी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खाताधारियों की राशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*97. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखण्ड स्थित परसथुआ ओ०पी० का अपना कोई भवन नहीं है तथा परसथुआ ओ०पी० का कार्यालय वहां के पंचायत सरकार भवन से संचालित होता है जबकि परसथुआ ओ०पी० हेतु उक्त पंचायत भवन के बगल में भूमि आवंटित हुये करीब 5 वर्ष से अधिक हो चुका है, तथा ओ०पी० के भवन निर्माण हेतु पैसा भी रोहतास पुलिस अधीक्षक कार्यालय को आवंटित किया जा चुका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ओ०पी० के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन स्थायी करना

*98. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के जेलों में बंद बंदियों में से 60% निरक्षर एवं 40% शिक्षित बंदी हैं जिनमें से निरक्षर बंदियों को साक्षर करने एवं शिक्षित बंदियों को आगे की शिक्षा देने हेतु विभाग स्तर से NIOS के माध्यम से नामांकन लिया जाता है, परंतु स्थायी व्यवस्था के तहत वर्ग कक्ष, शिक्षक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सेंट्रल जेल, मोतिहारी में 79 बंदियों सहित राज्य के जेलों में कुल 2033 बंदियों का नामांकन एन०आई०ओ०एस० के माध्यम से वर्ष 2021-22 में हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सेंट्रल जेल, मोतिहारी सहित राज्य के जेलों में बंदियों को शिक्षा देने तथा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने हेतु वर्ग कक्ष का निर्माण के साथ कम्प्यूटर कक्ष एवं शिक्षक की पदस्थापन स्थायी रूप से करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया का भुगतान

*99. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के सासामूसा चीनी मिल पर वर्षों से किसानों का बकाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों को उनके गन्ना मूल्य के बकाया का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*100. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, कैमूर के पत्रांक XI-01-17/1028/स्था०, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के अनुसार कैमूर जिला में कुल 33 वेतनभोगी चालक कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उच्च न्यायालय, पटना के सी०डब्लू०जे०सी० नं० 8389 (अरूण कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितिकरण/समायोजन से संबंधित सूची मांगी गयी थी, जिसके आलोक में जिलाधिकारी, कैमूर द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को 33 वेतनभोगी चालकों की सूची दी गयी किन्तु उसके ठीक 2 दिन बाद 13 सितम्बर, 2017 को पत्रांक XI-01-17/1038/स्था०, द्वारा अवर-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को वेतनभोगी चालकों की संख्या शून्य बतायी गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक दोषियों पर कार्रवाई करते हुये 33 वेतनभोगी चालकों को नियमितिकरण/समायोजन करने का विचार रखती है ?

प्रतिमा स्थापित कराना

*101. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अंदर महापुरूषों की मूर्तियां चौक-चौराहों पर लगाकर लोगों को उनकी सेवा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रेरित करते रहने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विश्वविख्यात इतिहासकार, प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं 13 से अधिक विषयों के महान विद्वान डॉ काशी प्रसाद जायसवाल की आदमकद प्रतिमा बिहार राज्य वित्त निगम, पटना के समीप गोलम्बर के मध्य में स्थापित करने की माँग डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल एकेडमिक कॉउन्सिलिंग तथा प्रश्नकर्ता द्वारा पिछले पाँच वर्षों से की जा रही है परंतु अभीतक मूर्ति स्थापित नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल की प्रतिमा चयनित स्थान पर स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर का जीर्णोद्धार

*102. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के ग्राम-कैरवा में श्रीराम जानकी मठिया एवं पानापुर प्रखंड के ग्राम-रसौली में श्रीराम जानकी मठिया लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण उक्त मंदिर एवं चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना निर्माण करवाना

*103. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड अन्तर्गत मथुरापुर बाजार में ओ०पी० थाना का निर्माण नहीं किया गया है जबकि उक्त बाजार गुरारू प्रखंड एवं गुरूआ प्रखंड के बीच में अवस्थित है तथा गुरारू थाना की दूरी लगभग 10 कि०मी० है जिससे पुलिस को आने में घंटों का समय लग जाता है और अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से भाग जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बाजार में नया ओ०पी० थाना निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 फरवरी, 2022 (ई०)।
बि०स०मु०-78 (एल०ए०), 2021-22 डी०टी०पी०-550

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।